

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 852/2014)

(संस्थित दिनांक :- 24/09/14)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. गंगाराम गुर्जर पुत्र जगमन सिंह गुर्जर उम्र 38 वर्ष

निवासी :- समता नगर मालनपुर, थाना-मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त

/// निर्णय ///

( आज दिनांक : 03/08/2017 को घोषित )

01. अभियुक्त गंगाराम पर भा.द.सं. की धारा 451, 504, 323 "02 काउण्ट" एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 07/08/2014 को शाम लगभग 06:05 बजे फरियादी वृन्दावन का मकान स्थित पहाड़िया लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर में, मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी वृन्दावन को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शान्ति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें, फरियादी वृन्दावन एवं उसकी पत्नी सरोज की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की एवं फरियादी वृन्दावन को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 07/08/2014 को शाम लगभग 06:05 बजे फरियादी वृन्दावन का मकान स्थित पहाड़िया लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर में, आरोपी गंगाराम द्वारा फरियादी वृन्दावन के घर में प्रवेश करने, उसकी एवं उसकी पत्नी सरोज बाई की मारपीट कर उससे गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी वृन्दावन द्वारा उसी दिनांक थाना मालनपुर पर की जाने पर थाना मालनपुर में आरोपी गंगाराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 165/2014 अन्तर्गत धारा 452, 323, 294 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी वृन्दावन, आहत/साक्षी सरोज बाई एवं हरेन्द्र गुर्जर के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त गंगाराम के विरुद्ध धारा 451, 294, 323 "02 काउण्ट" एवं 506 भाग II भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया एवं प्रतिरक्षा साक्षी गोविन्द सिंह प्रति.सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी ने दिनांक :- 07/08/2014 को शाम लगभग 06:05 बजे फरियादी वृन्दावन का मकान स्थित पहाड़िया लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर में, मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, फरियादी वृन्दावन को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शान्ति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी वृन्दावन एवं उसकी पत्नी सरोज की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

04. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी वृन्दावन को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

05. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 04**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी गंगाराम को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 14/07/2015 से लगभग एक साल पहले की शाम 06 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने घर पर था, तभी उसके घर

के अन्दर गंगाराम आया और बोला कि मकान खाली कर दो, तब उसने कहा कि मकान हमारा है, तो आरोपी माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालियाँ देने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी। उसकी पत्नी सरोज बचाने आई तो उसकी भी मारपीट की, फिर उन्हें हरेन्द्र ने बचाया। साक्षी आगे कहता है कि तभी आरोपी गंगाराम बोला कि मकान खाली कर दो, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी. 01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. साक्षी/आहत सरोज अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी गंगाराम गुर्जर को जानती है, क्योंकि आरोपी उसका पड़ोसी है। वह फरियादी वृन्दावन को भी जानती है, वह उसके पति हैं। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 15/04/2015 से लगभग आठ माह पहले की शाम 06 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि वह एवं उसके पति वृन्दावन घर पर ही थे। तब उसके घर में गंगाराम गुर्जर आया और उसके पति से बोला मकान खाली करें, तब उसके पति ने मना किया तो उसके पति को गालियाँ देकर उनकी मारपीट की, फिर उसने बीच-बचाव कराया तो गंगाराम ने उसे लात मारी, जो उसके पैर में लगी थी। साक्षी आगे कहती है कि उसके पति को भी कमर एवं पीठ में चोटें आई थी। घटना के बाद वह लोग थाने गये और पुलिस ने उसका बयान लिया था। पुलिस ने उससे पूछा था कि घटना किस बात को लेकर हुई, उसने उन्हें सारी बात बता दी थी।

10. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि मौके पर मौजूद हरेन्द्र ने बीच-बचाव कर आरोपी से उसे बचाया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह हरेन्द्र गुर्जर पुत्र बलराम को जानता था, जो कि ग्राम भैसोरा, जिला-मुरैना का रहने वाला है और घटना के समय वह, उसके घर पर था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि हरेन्द्र गुर्जर पुत्र बलराम सिंह, निवासी : ग्राम चक माधौपुर, जिला-भिण्ड नामक व्यक्ति उसके घर पर नहीं था। इस प्रकार वृन्दावन अ.सा.02 का यह सारतः यह कहना है कि घटना में बीच-बचाव जिस व्यक्ति द्वारा किया गया था, वह हरेन्द्र गुर्जर पुत्र बलराम निवासी : ग्राम भैसोरा जिला-मुरैना का था। जबकि प्रकरण की विवेचक उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 द्वारा उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी ने उसे यह नहीं बताया था कि बीच-बचाव कराने वाला मौके पर मौजूद व्यक्ति हरेन्द्र गुर्जर, भैसोरा वाला था अर्थात् फरियादी वृन्दावन ने विवेचक डिम्पल मौर्य को यह बताया था कि बीच-बचाव करने वाला व्यक्ति हरेन्द्र गुर्जर भैसोरा वाला था। लेकिन विवेचक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 में प्रकरण में अभियोग पत्र में संलग्न साक्ष्य सूची में साक्षी क्रमांक 03 के रूप में जिस हरेन्द्र पुत्र बलराम गुर्जर को दर्शित किया गया है, उसका पता ग्राम भैसोरा जिला-मुरैना अंकित ना होकर, ग्राम चक माधौपुर अंकित है। प्रकरण में संलग्न साक्षी हरेन्द्र पुत्र बलराम गुर्जर के धारा 161 द.प्र.सं. के कथन में भी

उसका पता ग्राम चक माधौपुर मालनपुर, भिण्ड अंकित है। ऐसी दशा में जबकि फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 द्वारा साक्षी के रूप में हरेन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम भैंसोरा जिला-मुरैना को नामित किया गया था, तब विवेचक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति हरेन्द्र गुर्जर निवासी चक माधौपुर मालनपुर को प्रकरण में साक्षी के रूप में अंकित क्यों किया गया, इसका कोई कारण विवेचक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया।

11. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि मौके पर मौजूद हरेन्द्र ने बीच-बचाव कर आरोपी से उसे बचाया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह हरेन्द्र गुर्जर पुत्र बलराम को जानता था, जो कि ग्राम भैंसोरा, जिला-मुरैना का रहने वाला है और घटना के समय वह, उसके घर पर था। जबकि उसकी पत्नी एवं छाटना की कथित आहत सरोज अ.सा.01 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह कहना है कि वह किसी हरेन्द्र पुत्र बलराम गुर्जर, निवासी : चक माधौपुर को नहीं जानती, ना ही उसने उस व्यक्ति को कभी देखा है। सरोज अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण में भी कहीं पर किसी हरेन्द्र गुर्जर निवासी चक माधौपुर मालनपुर भिण्ड अथवा निवासी ग्राम भैंसोरा, जिला-मुरैना की घटना के समय आहतगण के घर में उपस्थिति एवं उसके द्वारा आरोपित घटना में बीच-बचाव का तथ्य नहीं बताया है। इस प्रकार यह किसी भी तरह से संभव नहीं है कि एक व्यक्ति जिसका नाम हरेन्द्र गुर्जर पुत्र बलराम गुर्जर निवासी :- भैंसोरा अथवा चक माधौपुर हो और वह घटना के समय आहत सरोज एवं फरियादी वृन्दावन के घर में उपस्थित हो, आरोपित घटना में बीच-बचाव कराये, लेकिन पति-पत्नी सरोज एवं वृन्दावन में से एक व्यक्ति हरेन्द्र की आरोपित घटना के समय मौजूदगी को दर्शित करे और दूसरा व्यक्ति उसे पहचानने से ही इन्कार करें। इस प्रकार आरोपित घटना के समय हरेन्द्र गुर्जर नामक किसी व्यक्ति की उपस्थिति और उसके द्वारा घटना के दौरान बीच-बचाव कराये जाने के संबंध में फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 एवं उसकी पत्नी आहत सरोज अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

12. फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया है कि पुलिस ने उसका मेडीकल परीक्षण कराया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में वृन्दावन अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके शरीर पर मारपीट की चोट नहीं थी और साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसके शरीर पर चोटें थी और उसका मेडीकल गोहद अस्पताल में हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसने पुलिस को अपनी चोटों का ईलाज कराने से मना किया हो। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में वृन्दावन अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके कोई चोट नहीं थी, इसलिए उसने मेडीकल नहीं कराया था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मेडीकल रिपोर्ट प्र.डी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में सरोज अ.सा.01 का कहना है कि घटना में उसके चोटें आई थी,

लेकिन उसका मेडीकल नहीं हुआ था और स्वतः कहा है कि उसका मेडीकल हुआ था। अभियोग पत्र के साथ संलग्न वृन्दावन अ.सा.02 के पुलिस द्वारा भरे गये मेडीकल परीक्षण फॉर्म में फॉर्म के प्रथम पृष्ठ पर यह उल्लेखित है कि “मेरे मामूली चोटें हैं और मैं मेडीकल नहीं कराना चाहता हूँ” इस इबारत के नीचे फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 के ए से ए भाग के मध्य हस्ताक्षर है। जिससे यह दर्शित होता है कि स्वयं फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने उसका मेडीकल परीक्षण नहीं कराया था। उल्लेखनीय है कि आहत होने पर मेडीकल परीक्षण ना कराना और मेडीकल परीक्षण ना कराने के बाद भी अभियोजन साक्ष्य में कई बार स्वयं का मेडीकल परीक्षण होने की बात दर्शित करना, फरियादी वृन्दावन के सत्य के प्रति आस्थावान साक्षी ना होने के तथ्य को दर्शित करता है।

13. फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि आरोपित मारपीट में उसकी पत्नी सरोज की चूड़ी टूटने पर उसके कंधे एवं कलाई में चोटें आई थी और उसका ब्लाउज फट गया था। साक्षी आगे कहता है कि ब्लाउज फट जाने के संबंध में उसने पुलिस को बता दिया था, अगर पुलिस ने ना लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी आगे कहता है कि उसकी पत्नी का मेडीकल परीक्षण नहीं हुआ था। आहत सरोज का भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि उसका मेडीकल परीक्षण नहीं हुआ था। उल्लेखनीय है कि चूड़ी टूटने से जो चोटें सामान्यतः कारित होती है वह खरोच अथवा कटे हुए घाव के रूप में होती है। ऐसी दशा में आरोपित घटना में चूड़ी टूटकर सरोज अ.सा.01 के कंधे एवं कलाई में चोट आने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा उसका मेडीकल परीक्षण ना कराया जाना अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है। उल्लेखनीय यह भी है कि साक्षी वृन्दावन ने आहत सरोज के चूड़ी टूटकर चोट कारित होने एवं सरोज का ब्लाउज फट जाने का तथ्य बताया है, जबकि सरोज अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में चूड़ी टूटकर कलाई एवं कंधे में चोट कारित होने और आरोपित घटना में उसका ब्लाउज फट जाने का कोई तथ्य नहीं बताया है। इस प्रकार आरोपित घटना में चूड़ी टूटकर सरोज के कलाई एवं कंधे में चोट कारित होने एवं उसका ब्लाउज फट जाने के संबंध में आहत सरोज अ.सा.01 एवं फरियादी वृन्दावन अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है और इस प्रकार समस्त अभियोजन कथा विरोधाभास परिपूर्ण होने के कारण सत्य प्रतीत नहीं होती है।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी गंगाराम ने दिनांक :- 07/08/2014 को शाम लगभग 06:05 बजे फरियादी वृन्दावन का मकान स्थित पहाड़िया लोढ़ी माता मंदिर के पास मालनपुर में, मारपीट करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी वृन्दावन को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शान्ति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें, फरियादी वृन्दावन एवं उसकी पत्नी सरोज की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की एवं

फरियादी वृन्दावन को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

### अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी गंगाराम के विरुद्ध धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी गंगाराम को धारा 294 एवं 323/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद